



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून



E-mail ID – exnpdddun@gmail.com/Phone/Fax - 0135-2623746

पत्रांक 336 / 2सी

दिनांक : 30.01.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय:— जनपद-देहरादून के विकासखण्ड-सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखौली के हल्दूवाला ग्राम पंचायत चौकी बिराबड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.0752 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:— ऑन लाईन ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 26-12-2018.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून द्वारा ऑन लाईन लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या संलग्न कर निम्नवत् प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In part-I, column B. It is mentioned by the user agency that previous proposals has already been submitted for seeking diversion of forest land but the details of the proposals is not given.	Details of prior approval of MoEF for previous proposal under the FC Act, 1980 has been uploaded in Form A Part-I Saction-V, Serial No-1(b) and hard copy of the same is uploaded here.

संलग्नक-आपत्तियों का निराकरण 5 हार्ड प्रतियों में।

(इं. ए.एस. भण्डारी)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

देहरादून

30.01.18

Asstt. Engineer
Provn. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.

5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रेंसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा० वि० दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

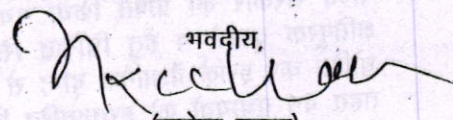
भवदीय,

 (राजेन्द्र कुमार)
 अपर सचिव।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
 Forest Divn. P.W.D.
 Dehra Dun.

30/01/18

संख्या:-जी0आई0:- 2481 / 7-1-2011-600(2894)/2008 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

आज्ञा से
Handwritten signature
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

Photo Copy Attested

Handwritten signature
Asst. Engineer
Prov. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.

Handwritten signature
30.01.18

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफोन-2326696

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/३६५/२००८/एफ०सी०/२०६०

दिनांक: 07.12.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय: जनपद देहरादून में जन्तनवाला-झाड़ीवाला-हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा घोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1339/1जी-2504 (देहरादून) दिनांक 23.11.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1487/1जी-2504 (देहरादून), दिनांक-17.12.2008 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.05.2010 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-1 का अनुपालन पूर्ण नहीं किया गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई० ए० 944 एवं 800 में स्वीकृत हैं तथा इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्ताव पारित करने का निर्देश है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्रांक 11-177/2010-एफ०सी०, दिनांक 03.08.2010 द्वारा 6 माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 02.02.2011 संरक्षित वन अधिसूचित करने की सीमा निर्धारित की गयी है। अतः केन्द्र सरकार जनपद देहरादून में जन्तनवाला - झाड़ीवाला - हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा घोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 25 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.70 हे० गल्जवाड़ी सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.70 हे० गल्जवाड़ी सिविल सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु इसे वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
- प्रस्ताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में से शर्त संख्या-5 को विलुप्त किया जाता है।
- निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

भवदीय,

(वाई० के० सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अति० वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-03.
- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
- अधिकाधिकारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- आदेश पत्रावली।

श्री. को
अति कर
20.12.2010

Shri. Dhan Forest Division, D.
Insd. No. 3714
Insd. No. 12-1
Date Recd. 21/12/2010

(वाई० के० सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. W.D.
Dehra Dun.



भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
क्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफोन-2323980

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/३६५/२००८/एफ०सी०

दिनांक: 09.05.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय: जनपद देहरादून में जन्तनवाला-झाड़ीवाला-हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा घोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक 3441/1जी-2504 (देहरादून) दिनांक 22.04.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने अपने पत्रांक 1487-2504 (देहरादून) दिनांक 17.12.2008 केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2009 के माध्यम इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी एवं प्रस्ताव को दिनांक 22.12.2009 के द्वारा बन्द किया गया था। नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार जनपद देहरादून में जन्तनवाला - झाड़ीवाला - हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा घोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 25 वृक्षों के पातन की तत्कालिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.70 हे० गल्जवाड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं पॉंच वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की होगी जिसे वन विभाग के पक्ष में शीघ्र हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के करने पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
4. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी०ए०-1594, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण 1:50000 पैमाने पर एक स्वच्छ मानचित्र जिसमें स्पष्ट प्रस्तावित संरक्षण एवं विभिन्न प्रकार के वनों को भिन्न-भिन्न रंगों से दर्शाया गया हो को प्रेषित करे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीया,

(शैलजा सिंह)

वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति० वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-03.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमाणीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. आदेश पत्रावली।

(शैलजा सिंह)

वन संरक्षक(के.)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. W.D.
Dehra Dun.